:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः- 20/21

दायर दिनांकः- 20.07.2021

निर्णय दिनांकः- 26.08.2022

1. तहसीलदार (भूमिधारी) चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री अल्पेश पिता नानुराम कलाल
2. हेमलता पिता नानुराम कलाल
3. हंसा पिता नानुराम कलाल
4. हीना पिता नानुराम कलाल
5. प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. ससलाई।

दावा अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्त. अधिनियम

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी तहसीलदार चिखली के हेसीयत से कार्यालय तहसील चिखली में निहीत है।

यह कि वादी राज्य सरकार के मार्फत भूमिधारी नियक्त है जिसमें समस्त काश्तकारों को उनके काश्तकारी अधिकारी, भूमि से संबंधित नियमानुसार कर्तव्यों का रक्षक है।

यह कि प्रकरण वक्त श्रीमान जिला कलक्टर रात्रि चौपाल दिनांक 12.02.2021 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रबंध समिति ससलई एवं समस्त ग्रामवासी ससलई द्वारा परिवाद पेश किया गया था कि 1985 से स्थापित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत वर्ष 2007 खसरा नम्बर 491/66 वा है। और उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1. अल्पेश पिता नानुराम कलाल 2. हेमलता पिता नानुराम कलाल 3. हंसा पिता नानुराम कलाल 4. हीना पिता नानुराम कलाल है जिसका वर्षो से किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है साथ ही विद्यालय की यह मंशा भी रही कि उक्त भूमि विद्यालय को कब्जे अनुसार दे दी जावें। जिसकी जॉच कार्यालय तहसीलदार द्वारा राजस्व कार्मिकों से करवाई गई तथा बाद जॉच संतुष्ट होने पर उक्त वाद पेश किया। यह कि परिवाद में तहसील चिखली के पटवार मण्डल साकोदरा के मौजा ससलई के जमाबंदी संवत् 2076-79 में खाता संख्या 05 किता 1 कुल खसरा संख्या 491/66 रकबा 1.0375 है0 भूमि खातेदार प्रतिवादी सदस्य कम संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। जिस पर वर्तमान में मौके पर प्रतिवादी गण का किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं है और न ही काश्त की जा रही है।

यह कि उक्त भूमि का आवंटन श्री नानुराम पिता कचरू को श्रीमान उपजिलाधीश के आवंटन आदेश कमांक 256-58 दिनांक 26.10.77 के मीसल नम्बर 3401 के द्वारा किया गया था जिसका नामान्तकरण दिनांक 06.11.77 को अमलदरामाद हुआ। चुकि उक्त भूमि पर विद्यालय चल रहा था जिसमें गैर खातेदार के रूप में उक्त भूमि रही इस बीच आवंटी फौत हो गये तथा विरासत का नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 30.09.2009 पिता द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर काश्त नहीं की गई। जिसके प्रमाण में खसरा गिरदावरी संवत 2047 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि पर विद्यालय सन् 1985 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ससलई के नाम से चल रहा है। जिसके प्रमाण स्वरूप विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पत्र संलग्न है। इसी बीच विद्यालय 2007-08 में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) डूंगरपुर के आदेश कमांक जिशिअ/प्राशि/डूंगर/सामान्य/08/467 दिनांक 17.01.08 से क्रमोन्नत होकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ससलई हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
चिखली ... डूंगरपुर

यह कि पटवारी हल्का साकोदरा के मौका पर्चा में ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत के गणमान्यों द्वारा भी उक्त भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा कभी काश्त न करना बताया गया है तथा प्रस्तुत फोटाग्राफ से भी स्पष्ट है कि उक्त विद्यालय का भवन काफी वर्षों से चला आ रहा है। तथा शेक्षिक, शारिरीक, सांस्कृतिक गतिविधियॉ विद्यालय द्वारा परिसर एवं प्रांगण में संचालित की जाती है।

यह कि वादग्रस्त आराजी पर विद्यालय संचालित है। जिसमें ग्रामवासियों के बालक बालिकाए अध्ययनरत है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा न तो भूतकाल में और न ही वर्तमान में किसी भी प्रकार का कब्जा है न ही काश्त की जा रही है।

वाद दर्ज रजिस्टर किर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीग्र संख्या 2, 3 व 4 की ओर से एडवोकेट श्री मनीष कलाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रा.प. अन्तर्गत धारा 11 ऑर्डर 7 रूल 11 पेश किया जिसकी एक प्रति पैरापकार सरकार को दिलाई गई। प्रतिवादीगण को बार–बार सूचित करने भी उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 18.02.2022 को तहसीलदार चिखली द्वारा जवाब प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 11 ऑर्डर 7 रूल 11 पेश किया जो शा. पत्रावली किया गया। दिनांक 04.03.2022 को पत्रावली पेश हुई, तहसीदार चिखली की एक तरफा बहस सूनी गई। प्रा.प. अन्तर्गत धारा 11 ऑर्डर 7 रूल 11 अस्वीकृत किया गया। दिनांक 25.05.2022 को तहसीलदार चिखली द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट पेश की गई जो शा. पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 15.07 2022 को पेश हुई तहसीलदार चिखली व प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित। तहसीलदार चिखली ने लिखित बहस पेश की एवं प्रति. संख्या 5 ने मौखिक बहस की। प्रति. संख्या 5 ने अपने मौखिक बहस में वादी तहसीलदार चिखली के बहस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

वाद पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर एवं अंतिम बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी पर विद्यालय संचालित है। जिस पर प्रतिवादीगण 1 से 4 का न ही वर्तमान में किसी प्रकार का कब्जा है न ही पूर्व में साबित होता है। उक्त भूमि से काश्तकार द्वारा काश्त की शर्ते भंग किया जाना प्रमाणित है। अतः वाद तहसीलदार चिखली स्वीकार किया जाकर ग्राम ससलई के खसरा नम्बर 491/66 कुल रकबा 1.0375 है0 को बिलानाम सरकार घोषित किया जाता है।

## आदेश

तहसीलदार चिखली को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ससलई के खसरा नम्बर 491/66 कुल रकबा 1.0375 है0 को राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम सरकार अमलदरामद करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर